राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)राप/2/2012 जयपुर, दिनांक 17 JUL 201

आदेश

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित किये जाते हैं :–

| क्र. सं. | वरियता संख्या | नाम व पद | आवंटित आवास संख्या | सेवानिवृति दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 40/2011 | श्री मुहम्मद असलम खां सहायक निदेशक, निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर | II/44, गांधीनगर | 31.7.2019 |
| 2. | 6/2012 | श्री विकम सिंह यादव अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) सार्वजनिक निर्माण विभाग डिवीजन II जयपुर | II/50 गांधीनगर | 31.7.2027 |
| 3. | 12/2012 | डॉ0 अमित जैन सहायक आचार्य, सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर | 2/6 हीरावाग | 29.2.2040 |
| 4. | 17/2012 | श्री जगपाल सिंह संयुक्त निदेशक कृषि गुण नियंत्रक कृषि आयुक्तालय पंत भवन, जयपुर | 701 मॉडल टाउन मालवीयनगर | 31.5.2022 |
| 5. | 19/2012 | श्री देवेन्द्र कुमार वर्डिया अधीक्षण अभियन्ता पीएमयु जल संसाधन विभाग, (गुण नियंत्रक एवं सतर्कता) जयपुर | 504 मॉडल टाउन | 30.4.2014 |

शर्ते:–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या 4 व 5 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेंगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिवीजन–II, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय कृषि पंत भवन, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर / मालवीयनगर / हीराबाग, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
16. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर / मालवीयनगर / हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। **कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
18. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
20. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव